संख्याः— 176 /XXIV(7)/2005

प्रेषकः

राजेन्द्र सिंह
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी,नैनीताल

शिक्षा अनुभाग—7 देहरादूनः दिनांक 16 फरवरी 2005

विषयः— विशिष्ट महाविद्यालयों की स्थापना के लिए राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि के आहरण की स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—667/XXIV(1)/2004,दिनांक 09 अगस्त, 2004के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस आदेश द्वारा विशिष्ट महाविद्यालयों की स्थापना मद में प्राविधानित धनराशि रू0 69,00,000/— (रू0 उनहत्तर लाख मात्र) निदेशक उच्च शिक्षा के निवर्तन पर रखी गयी थी। प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय उक्त धनराशि में से रु0 63,00,000/—(रुपये तिरेसठ लाख मात्र)संलग्नक में अंकित विवरणानुसार आहरित कर व्यय किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः—

2— मानदेय मद से व्यावसायिक पाठ्यकमों के शिक्षण हेतु आमंत्रित शिक्षकों को मानदेय दिया जाएगा जो कि आचार्य को रू0 500.00 प्रति घंण्टा, उपाचार्य को रू0 250.00 प्रति घण्टा तथा वरिष्ठ प्रवक्ता को रू0 150.00 प्रति घण्टा दिया जाएगा।

3— मशीन, साज—सज्जा/उपकरण मद से उपयोगी उपकरणों जो महाविद्यालय के पास पूर्व से न हों कय किए जायेंगे। इस मद में प्राविधानित धनराशि से अनावश्यक व्यय यथा फर्नीचर,पर्दे,मैट, टेलीविजन आदि कय नहीं किए जायेंगे।

4— अनुरक्षण मद से रंगाई,पुताई,नालियों की मरम्मत आदि जैसे महत्वहीन कार्य नहीं किए जायेंगे। यह धनराशि अति आवश्यक जिसके बिना कार्य न चल सकता हो उन पर ही व्यय की जाएगी।

5— अन्य व्यय मद से संदर्भ पुस्तकें कय की जानी होंगी। महाविद्यालय को अधिक छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए बुक फेयर के माध्यम से पुस्तकों का कय किया जाना होगा।

6— उक्त समस्त मदों पर धनराशि व्यय करने से पूर्व महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा एक समिति गठित की जानी होगी तदोपरान्त सामग्री कय करने के संबंध में अन्तिम निर्णय लिया जाएगा। सामग्री कय में अनियमितता होने पर प्राचार्य के अतिरिक्त समिति के समस्त सदस्य भी उत्तरदायी होंगे।

7— प्राविधानित मदों के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में व्यय नहीं किया जायेगा तथा अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति की प्रत्याशा मं कोई व्यय नहीं किया जायेगा।

8— स्वीकृत धनराशि के उपभोग के संबंध में शासन द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ताकि कार्य की प्रगति से शासन को अवगत कराया जायेगा तथा समय–समय पर निर्गत वित्तीय एवं मितव्ययता संबंधी नियमों एवं दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9— इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–11 के आयोजनागत पक्ष के अधीन लेखाशीर्षक –2202–सामान्य शिक्षा–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा–103–राजकीय कालेज तथा संस्थान–10–विशिष्ट महाविद्यालयों की स्थापना के सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जाएगा।

10— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 126/XXVII(I)–1/2005, दिनांक 15 फरवरी,2005 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

/

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव

संख्या– 176 (1)/XXIV(7)/2005:तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाये, देहरादून।
3— लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा निदेशालय,हल्द्वानी,नैनीताल।
4. कोषाधिकारी, नैनीताल।
5. संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्य द्वारा निदेशक,उच्च शिक्षा।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री,।
7. वित्त अनुभाग–1, उत्तरांचल शासन।
8. एन0आई0सी0,सचिवालय,देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(के0 पी0 पाटनी)
अनु सचिव।

D E GRENT Go39

शासनादेश संख्याः 176 /XXIV(7)/2005 दिनॉक 16 फरवरी, 2005 का संलग्नक।

धनराशि हजार रुपये में

मद का नाम	हल्द्वानी	रानीखेत	उत्तरकाशी	योग
10–विशिष्ट महाविद्यालयों की स्थापना 07–मानदेय	300	—	—	300
26–मशीन साज–सज्जा एवं उपकरण	350	325	325	1000
29–अनुरक्षण	350	325	325	1000
42–अन्य व्यय	1400	1300	1300	4000
योग	2400	1950	1950	6300

(के0 पी0पाटनी)
अनु सचिव